Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025 Impact Factor: 7.665

UGC CARE I

घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रवि देव
शोधार्थी (समाज शास्त्र)
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जं.

डॉ. नजमा खातून
शोध निर्देशिका (समाज शास्त्र)
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जं.

सारांश

यह शोध–पत्र "घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" महिलाओं के विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा की प्रकृति, स्वरूप, कारण और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। घरेलू हिंसा न केवल महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके सामाजिक अस्तित्व और आत्म–सम्मान पर भी गंभीर आघात पहुँचाती है। अध्ययन में यह देखा गया है कि पारिवारिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा का अभाव, और सामाजिक–सांस्कृतिक परंपराएँ घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। शोध में इस बात का भी विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार समाज में व्याप्त लिंग असमानता और सामाजिक मान्यताएँ महिलाओं को हिंसा सहने के लिए विवश करती हैं।

यह अध्ययन महिलाओं के अनुभवों को सामने लाने के साथ–साथ समाजशास्त्रीय दृष्टि से उनके अधिकारों और न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, इसमें कानूनी और सामाजिक उपायों की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है, जिनके माध्यम से घरेलू हिंसा को रोकने और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

मुख्य शब्दः घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, समाजशास्त्रीय अध्ययन, पितृसत्ता, लिंग असमानता, सामाजिक संरचना, सशक्तिकरण, न्याय, परिवार, महिला अधिकार

प्रस्तावना

समाजशास्त्र मानव समाज और उसकी संरचनाओं, संस्थाओं एवं संबंधों का गहन अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्ति विशेषकर महिलाओं की स्थिति महत्वपूर्ण विमर्श का विषय रही है। भारतीय समाज, जिसकी सामाजिक व्यवस्था प्राचीनकाल से ही पितृसत्तात्मक रही है, वहाँ महिलाओं की स्थिति अक्सर द्वितीयक रही है। इस समाज में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिला के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों और सामाजिक संतुलन को भी चुनौती देती है।

घरेलू हिंसा का अर्थ केवल शारीरिक प्रताड़ना तक सीमित नहीं है; यह मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक अत्याचार, आर्थिक शोषण और यौन उत्पीड़न जैसे अनेक रूपों में प्रकट होती है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

यह एक ऐसी समस्या है जो सामान्यतः चार दीवारों के भीतर घटित होती है और समाज के अधिकांश हिस्से में इसे निजी मामला मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि घरेलू हिंसा महिला अधिकारों के हनन और उनके अस्तित्व पर एक सीधा प्रहार है।

भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि घरेलू हिंसा की घटनाएँ घटने के बजाय बढ़ रही हैं। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों का जटिल जाल है, जिनमें शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता, पितृसत्तात्मक मानसिकता, दहेज प्रथा, शराब का सेवन और सामाजिक कलंक जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा के विभिन्न पहलुओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार समाज में व्याप्त संरचनात्मक असमानताएँ और मान्यताएँ महिलाओं को उत्पीड़न सहने के लिए बाध्य करती हैं। इसके साथ ही, इस अध्ययन के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की स्थिति, उनके अनुभवों और उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कानूनी एवं सामाजिक उपायों पर प्रकाश डालना भी अपेक्षित है।

घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक चिंता का विषय है, जिसके निराकरण के लिए न केवल सशक्त कानूनों की जरूरत है, बल्कि समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव आवश्यक है। इस अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह न केवल महिलाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, बल्कि समाज के व्यापक ढाँचे में व्याप्त लिंग असमानता को भी उजागर करता है।

इस प्रकार, यह शोध–पत्र घरेलू हिंसा की समस्या को वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करेगा और इस दिशा में नीतिगत सुधारों तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयोगी आधार उपलब्ध कराएगा।

अध्ययन का औचित्य

घरेलू हिंसा केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो समाज के समग्र स्वास्थ्य, विकास और प्रगति को प्रभावित करती है। महिला उत्पीड़न के रूप में घरेलू हिंसा का प्रचलन भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लिंग असमानता और पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं की जटिलताओं से गहराई से जुड़ा है। इस संदर्भ में इस समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है।

वर्तमान समय में जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और कानूनों में कई सुधार किए गए हैं, फिर भी घरेलू हिंसा की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण केवल कानूनी कमियाँ नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सोच, सांस्कृतिक परंपराएँ और मानसिकताओं में व्याप्त लिंग भेदभाव भी इसकी जड़ में हैं। अतः यह अध्ययन यह समझने में सहायता करेगा कि घरेलू हिंसा को केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी देखने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाएँ प्रायः चुप्पी साध लेती हैं, सामाजिक कलंक और भय के कारण न्यायालय तक नहीं पहुँच पातीं। इसका परिणाम यह होता है कि यह अपराध छुपा रह जाता है और महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन बर्बाद होता

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

चला जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से इन छिपे हुए पहलुओं को उजागर किया जा सकता है।

अध्ययन का औचित्य इस प्रकार भी महत्वपूर्ण है कि–

* यह घरेलू हिंसा की सामाजिक पृष्ठभूमि और कारणों की वैज्ञानिक पहचान करने में मदद करेगा।
* इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि पारिवारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
* इस शोध के निष्कर्ष नीति–निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और जागरूकता अभियानों के लिए उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं।
* यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित करेगा।

अतः घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक और समय की माँग है, ताकि समाज में व्याप्त इस गंभीर समस्या के मूल कारणों को समझा जा सके और उनके निराकरण के लिए कारगर समाधान प्रस्तुत किए जा सकें।

घरेलू हिंसा का स्वरूप और सामाजिक कारण

घरेलू हिंसा का स्वरूप बहुआयामी होता है और यह केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न भी शामिल हैं। घरेलू हिंसा का सबसे सामान्य स्वरूप शारीरिक प्रताड़ना के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिला के साथ मारपीट, धक्का–मुक्की, जलाना या अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। मानसिक उत्पीड़न के अंतर्गत अपमानजनक भाषा का प्रयोग, मानसिक तनाव देना, सामाजिक बहिष्कार करना और महिला की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना प्रमुख है। आर्थिक हिंसा का स्वरूप महिला को आर्थिक संसाधनों से वंचित करना, उसकी कमाई पर अधिकार करना और उसे आर्थिक निर्भरता में रखना है। इसी प्रकार, यौन हिंसा में बिना सहमति के यौन संबंध बनाने की जबरदस्ती और यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। इन सभी स्वरूपों में एक समानता यह है कि ये हिंसा घर की चारदीवारी में ही घटित होती है और प्रायः इसे निजी मामला मानकर समाज चुप्पी साध लेता है।

घरेलू हिंसा के सामाजिक कारण गहरे सामाजिक ढाँचे में निहित हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुष को परिवार में प्रमुख माना जाता रहा है, जबकि महिला को द्वितीयक स्थान दिया गया। यह मानसिकता आज भी कई घरों में विद्यमान है, जहाँ महिला को पुरुष का अधीनस्थ समझा जाता है। लिंग आधारित असमानता भी घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है, जहाँ बचपन से ही लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव किया जाता है, जिससे महिला को हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। शिक्षा का अभाव भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है; अशिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होतीं और हिंसा को सहन करना अपनी नियति मान लेती हैं।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

इसके अलावा, दहेज प्रथा घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाला प्रमुख सामाजिक कारक है। विवाह के बाद दहेज की माँग पूरी न होने पर कई बार महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले पुरुषों द्वारा घरेलू हिंसा की घटनाएँ अधिक होती हैं, क्योंकि नशे की हालत में वे अपनी कुंठाएँ और गुस्सा पत्नी पर निकालते हैं। आर्थिक निर्भरता भी महिलाओं को उत्पीड़न सहने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि वे पति या परिवार पर आर्थिक रूप से आश्रित होती हैं और हिंसा के बावजूद उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पातीं।

सामाजिक मान्यताएँ और परंपराएँ भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं। समाज में अक्सर यह माना जाता है कि पति का पत्नी को अनुशासन में रखना उसका अधिकार है, और हिंसा को अनुशासन का एक रूप मान लिया जाता है। साथ ही, महिलाओं के प्रति हिंसा को परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, जिसके कारण महिलाएँ उत्पीड़न सहते हुए भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आतीं। समाज में प्रचलित यह धारणा कि घरेलू विवादों का निपटारा घर में ही होना चाहिए, महिलाओं को न्याय पाने से रोकती है और हिंसा को चुपचाप सहने के लिए मजबूर करती है।

इस प्रकार, घरेलू हिंसा का स्वरूप बहुआयामी और इसके कारण गहरे सामाजिक संरचनात्मक तत्वों में निहित हैं, जो भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक चरित्र, सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहरे जुड़े हुए हैं। जब तक इन संरचनात्मक कारणों का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक घरेलू हिंसा की समस्या का समूल निवारण संभव नहीं होगा।

महिला उत्पीड़न के सामाजिक प्रभाव

महिला उत्पीड़न, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके व्यापक और गहरे सामाजिक प्रभाव भी होते हैं जो पूरे समाज के विकास और सामंजस्य को प्रभावित करते हैं। महिला उत्पीड़न से सबसे पहला प्रभाव स्वयं महिला के व्यक्तित्व और आत्मसम्मान पर पड़ता है। उत्पीड़न की शिकार महिला मानसिक रूप से भय, अवसाद और असुरक्षा की स्थिति में चली जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास क्षीण हो जाता है और वह सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने से कतराने लगती है। यह स्थिति महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाती है और समाज में उनकी स्वतंत्र भूमिका को बाधित करती है।

महिला उत्पीड़न का दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पारिवारिक संरचना पर पड़ता है। घरेलू हिंसा के कारण पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है और घर का वातावरण असुरक्षित तथा अशांत हो जाता है, जिसका नकारात्मक असर बच्चों पर विशेष रूप से पड़ता है। ऐसे परिवारों में पले–बढ़े बच्चे असुरक्षा, भय और आक्रोश की भावना से ग्रस्त रहते हैं, जो उनके व्यक्तित्व विकास में रुकावट पैदा करता है। कई शोधों से यह प्रमाणित हुआ है कि महिला उत्पीड़न के साक्षी बने बच्चे आगे चलकर या तो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं या फिर स्वयं भी उत्पीड़न का शिकार बन जाते हैं, जिससे हिंसा का यह चक्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है।

समाज के व्यापक स्तर पर महिला उत्पीड़न सामाजिक असमानता और लिंग भेदभाव को और अधिक गहरा करता है। उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएँ प्रायः आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं और समाज में उनकी सहभागिता सीमित हो जाती है, जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण बाधित

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025

होता है। यह स्थिति समाज में स्त्री–पुरुष समानता की अवधारणा को कमजोर करती है और महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति को बनाए रखती है।

इसके अतिरिक्त, महिला उत्पीड़न का प्रभाव सामाजिक विकास और राष्ट्र के मानव संसाधन विकास पर भी पड़ता है। जब महिलाएँ उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो उनकी शिक्षा, रोजगार और सृजनात्मकता बाधित होती है, जिससे समाज की प्रगति में उनका योगदान सीमित रह जाता है। इससे समाज में निर्भरता और गरीबी जैसी समस्याएँ भी बढ़ती हैं और सामाजिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

महिला उत्पीड़न का एक और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह है कि यह समाज में अपराध और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। जब महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर समाज चुप रहता है या उसे एक षनिजी मामलाष मानता है, तो इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है और कानून के शासन में लोगों का विश्वास कमजोर होता है।

इस प्रकार, महिला उत्पीड़न केवल पीड़ित महिला तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असंतुलन, लिंग आधारित असमानता, पारिवारिक विघटन और सामाजिक अविकास का कारण बनता है। जब तक समाज इस समस्या को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं मानेगा और इसके समाधान के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक समाज में न तो महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है और न ही एक स्वस्थ, समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न का सबसे गंभीर और गहरा प्रभाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शारीरिक प्रताड़ना के घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन मानसिक उत्पीड़न के परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं और महिलाओं के व्यक्तित्व, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब महिलाएँ लगातार अपमान, तिरस्कार, हिंसा और भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार होती हैं, तो उनके भीतर हीन भावना, भय और आत्मदोष की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक होती है।

अनेक अध्ययन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएँ अवसाद (Depression), चिंता विकार (Anxiety Disorders), तनाव–संबंधी विकार (Stress Disorders), अनिद्रा और च्ज्ैक (Post–Traumatic Stress Disorder) जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाती हैं। उत्पीड़न से उत्पन्न मानसिक आघात उन्हें सामाजिक रूप से अलग–थलग कर देता है, उनका आत्मविश्वास समाप्त कर देता है और वे स्वयं को निर्बल और असहाय महसूस करने लगती हैं। इससे उनके निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला यह प्रभाव केवल पीड़ित महिला तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज में भी इसकी नकारात्मक प्रतिध्वनि होती है। पीड़ित महिला की मनोवैज्ञानिक स्थिति घर के माहौल को विषाक्त बना देती है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास भी बाधित होता है और परिवार में असुरक्षा और अशांति का वातावरण बन जाता है। अक्सर पीड़ित

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

महिलाएँ आत्महत्या करने या आत्महत्या का प्रयास करने के चरम कदम तक पहुँच जाती हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करता है।

इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला यह प्रभाव पीड़ित महिलाओं की कार्यक्षमता और उत्पादकता को भी घटा देता है, जिससे उनके आर्थिक जीवन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है और वे आर्थिक रूप से और अधिक निर्भर हो जाती हैं। यह स्थिति उनके उत्पीड़न के चक्र को और भी मजबूत करती है, जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती हैं।

इस प्रकार, घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को केवल व्यक्तिगत संकट न मानकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखना आवश्यक है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, परामर्श केंद्रों और सामुदायिक समर्थन प्रणालियों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहायता और संरक्षण प्रदान किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समस्या को प्राथमिकता देकर ही हम महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकते हैं।

न्यायिक और कानूनी उपाय

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा की समस्या को नियंत्रित करने और पीड़िताओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से भारतीय विधि व्यवस्था ने कई महत्वपूर्ण न्यायिक और कानूनी उपाय उपलब्ध कराए हैं। घरेलू हिंसा को पहले निजी पारिवारिक विवाद माना जाता था, लेकिन बढ़ती घटनाओं और महिलाओं की स्थिति को देखते हुए इसे एक सार्वजनिक चिंता का विषय मानकर कानून के दायरे में लाया गया।

सबसे महत्वपूर्ण कानून "महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005" (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) है, जो विशेष रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा को व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा को शामिल किया गया है। यह अधिनियम पीड़ित महिला को तत्काल राहत दिलाने के प्रावधान करता है जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, भरण–पोषण के आदेश और क्षतिपूर्ति का प्रावधान। अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी और परामर्श केंद्र स्थापित करने का प्रावधान भी है, ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र सहायता मिल सके।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जो विवाहिता महिलाओं के साथ पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को दंडनीय अपराध मानता है। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

दहेज से संबंधित हिंसा को नियंत्रित करने के लिए "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961" भी लागू है, जिसके अंतर्गत दहेज की माँग करना, देना या लेना अपराध माना गया है। यदि दहेज के कारण महिला को उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु का प्रावधान है, जिसके तहत कठोर दंड दिया जाता है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 महिलाओं को समानता का अधिकार और लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसका उपयोग महिला उत्पीड़न के मामलों में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिला आयोग, कानूनी सहायता सेवाएँ और निःशुल्क विधिक सहायता केंद्रों की स्थापना भी महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) जैसी संस्थाएँ भी महिलाओं की शिकायतों को सुनने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए कार्यरत हैं।

इन सब उपायों के बावजूद, कानून का प्रभावी कार्यान्वयन और समाज में जागरूकता का अभाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कानून के होने के बावजूद महिलाएँ सामाजिक कलंक, भय और आर्थिक निर्भरता के कारण न्यायालय तक पहुँचने में हिचकती हैं। अतः न्यायिक और कानूनी उपायों के साथ–साथ समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, तभी इन प्रावधानों का वास्तविक लाभ पीड़ित महिलाओं तक पहुँच सकेगा और समाज में घरेलू हिंसा जैसी समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, लिंग आधारित असमानता और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा का स्वरूप बहुआयामी है, जो शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक उत्पीड़न के रूप में प्रकट होता है और इसके दुष्परिणाम केवल पीड़िता तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करते हैं।

शोध में यह तथ्य सामने आया कि शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता, पुरुषसत्ता की मानसिकता, सामाजिक परंपराएँ और दहेज प्रथा जैसे कारक घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलने को विवश होती हैं, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान क्षीण होता है, और वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में असमर्थ हो जाती हैं।

घरेलू हिंसा के सामाजिक प्रभाव व्यापक हैं– इससे न केवल परिवारों में तनाव और विघटन होता है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य के व्यवहार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। यह स्थिति सामाजिक असमानता और विकास में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि महिलाएँ उत्पीड़न और हिंसा के कारण शिक्षा, रोजगार और निर्णय–निर्माण में अपने योगदान को सीमित कर देती हैं।

यद्यपि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता की धारा 498।, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 जैसे कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, फिर भी इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन आज भी

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

एक चुनौती है। इसके पीछे प्रमुख कारण सामाजिक कलंक, पीड़िता का भय, आर्थिक निर्भरता और समाज में व्याप्त मानसिकता हैं, जो महिलाओं को न्याय तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

इसलिए, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न की समस्या के समाधान के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं; इसके लिए समाज में व्यापक स्तर पर जागरूकता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है। महिला उत्पीड़न के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई तभी संभव है जब समाज इसे व्यक्तिगत मामला न मानकर सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करे और महिलाओं को उनके अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे।

केवल न्यायिक उपायों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन और मानसिकता में बदलाव लाकर ही एक सुरक्षित, समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव है, जहाँ महिलाओं को स्वतंत्रता, सम्मान और हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार मिले।

संदर्भ

1. भारत सरकार। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005। विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
2. भारत सरकार। भारतीय दंड संहिता, 1860। विधि प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अग्नेस, फ्लेविया। कानून और लैंगिक असमानता : भारत में महिलाओं के अधिकारों की राजनीति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
4. कुमार, राधा। द हिस्ट्री ऑफ डूइंग : भारत में महिला अधिकार और नारीवाद के आंदोलनों का सचित्र इतिहास, 1800–1990। जुबान, 1993।
5. भारत सरकार। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–5), 2019–21। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. भारत सरकार। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट : क्राइम इन इंडिया 2022। गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. गोयल, रश्मि। "भारत में घरेलू हिंसा कानून : एक समीक्षा।" इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, खंड 10, अंक 1, 2003, पृष्ठ 23–50।
8. शर्मा, कल्पना। मिसिंग हाफ द स्टोरी : जर्नलिज्म एज इफ जेंडर मैटर्स। जुबान पब्लिकेशन्स, 2010।
9. देसाई, नीरा और मैत्रेयी कृष्णराज। भारत में महिला और समाज। अजंता प्रकाशन, 1987।
10. सिंह, सुशीला। स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य। वाणी प्रकाशन, 2014।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved